

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962 230065, फ़ैक्स: 05962 232182 ई-मेल almorastoredivision@rediffmail.com

पत्रांक - 5786 / 12-1-अल्मोड़ा

दिनांक 18/03/2026

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड स्याल्दे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक BB/UCP/06/269/2015/FC दिनांक 14.08.2025 महोदय,


उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा जनपद अल्मोड़ा में देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 है० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु इस कार्यालय को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है तथा विधिवत् स्वीकृति हेतु आरोपित शर्तों एवं आपत्तियों की अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग से प्राप्त कर बिन्दुवार निम्नवत् है :-

क्र०सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	As per Stage-I Condition No.1-The DFO shall submit status of Plantation under CA. If plantation work has not been carried out in the area then revised CA scheme of 7.688 ha as per the current rate shall be submitted and remaining amount to be deposited in CAMPA fund.	Plantation work has not been done in CA area. So revised CA scheme of 7.688 ha as per the current rate attached and remaining amount Rs. (4196900.00-947616.00=2249284.00) has been deposited in CAMPA fund Account No. 150896113914944. (Payment sheet attached)
2	As per Stage-I Condition No.6- The State Government is required to submit The KML file of the proposed CA area.	The KML file of the proposed CA area has been submitted and kml file is attached again in this email along with this letter.
3	As per Stage-I Condition No.7- A CA scheme of 1.00 ha is submitted but the amount of said CA scheme is not deposited in CAMPA fund. Therefore, the User Agency shall deposit the said amount in the CAMPA fund.	The Revised CA scheme of 1.00 ha is submitted and amount Rs. 869200.00 has been deposited in CAMPA fund Account No. 150896113914944. (Payment sheet attached)
4	Updated status of notification of CA land as PF under IFA 1927 shall be submitted..	Updated status of notification of CA land as PF under IFA 1927 has been submitted and copy is enclosed again alongwith this letter.

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मोटर मार्ग में आने वाले वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।


भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक = 5786/12-1.....उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई) सल्ट अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।



कार्यालय

अधिशायसी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0)

लोक निर्माण विभाग, सल्ट, अल्मोड़ा



Office: Jhimar (263676)

E-mail: eepmgmsysalt@rediffmail.com

पत्रांक: 170 / वनभूमि / 2025

दिनांक: 18 .02.2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड स्याल्दे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक 8B / UCP / 06 / 269 / 2015 / FC दिनांक 14.08.2025 महोदय,


उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा जनपद अल्मोड़ा में देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु इस कार्यालय को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है तथा विधिवत् स्वीकृति हेतु आरोपित शर्तों एवं आपत्तियों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है :-

क्र०सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	As per Stage-I Condition No.1- The DFO shall submit status of Plantation under CA. If plantation work has not been carried out in the area then revised CA scheme of 7.688 ha as per the current rate shall be submitted and remaining amount to be deposited in CAMPA fund.	Plantation work has not been done in CA area. So revised CA scheme of 7.688 ha as per the current rate shall be submitted and remaining amount Rs. (4196900.00-947616.00=2249284.00) has been deposited in CAMPA fund Account No. 150896113914944. (Payment sheet attached)
2	As per Stage-I Condition No.6- The State Government is required to submit The KML file of the proposed CA area.	The KML file of the proposed CA area has been submitted and kml file is attached again in this email along with this letter.
3	As per Stage-I Condition No.7- A CA scheme of 1.00 ha is submitted but the amount of said CA scheme is not deposited in CAMPA fund. Therefore, the User Agency shall deposit the said amount in the CAMPA fund.	The Revised CA scheme of 1.00 ha is submitted and amount Rs. 869200.00 has been deposited in CAMPA fund Account No. 150896113914944. (Payment sheet attached)

4	Updated status of notification of CA land as PF under IFA 1927 shall be submitted..	Updated status of notification of CA land as PF under IFA 1927 has been submitted and copy is enclosed again along with this letter.
---	---	--

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मोटर मार्ग में आने वाले वनभूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें।


संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।


 (आशीष कुमार सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, (पी०एम०जी०एस०वाई०)
 लो०नि०वि०, सल्ट, अल्मोड़ा।

पत्रांक: 170 /वनभूमि/2025/तददिनांक

प्रतिलिपि :-

1. अधिक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि०, ज्योतीकोट को सूचनार्थ प्रेषित।


 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, (पी०एम०जी०एस०वाई०)
 लो०नि०वि०, सल्ट, अल्मोड़ा।



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

दूरभाष/PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं०- 8B/UCP/06/269/2015/FC

दिनांक: As per E-sign

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.844 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/13914/2015).

सन्दर्भ: कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 102/12-1: देहरादून: दिनांक 15.07.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 28.12.2017 द्वारा राज्य सरकार को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालन आख्या संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है जिसमें कुछ त्रुटियाँ पाई गई हैं। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है की निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनाएँ प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव में अंतिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. As per Stage-I Condition No. 1- The DFO shall submit status of plantation under CA. If plantation work has not been carried out in the area then a revised CA scheme of 7.688 ha as per the current rate shall be submitted and remaining amount to be deposited in CAMPA fund.
 2. As per Stage-I Condition No. 6- The State Government is required to submit the KML file of the proposed CA area.
 3. As per Stage-I Condition No. 7- A CA scheme of 1.00 ha is submitted but the amount of said CA scheme is not deposited in CAMPA fund. Therefore, the User Agency shall deposit the said amount in the CAMPA fund.
 4. Updated status of notification of CA land as PF under IFA 1927 shall be submitted.
- उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अंतिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

Digitally signed by
Neelima Shah
Date: 14-08-2025
17:22:04

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिनिधि:- प्रमुख सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय,
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

पत्रांक 3819/12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 17/12/2025

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, (पी०एम०जी०एस०वाई०)
सल्ट।

विषय - जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड स्याल्दे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 हे० वनभूमि के सापेक्ष डिमाण्ड नोट के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/13914/2015)

सन्दर्भ- भारत सरकार का पत्रांक 8वी०/यू०सी०पी०/०६/२६९/२०१५/एफ०सी० दिनांक-14.08.2025।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा वर्तमान दरों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना तैयारक करते हुए अतिरिक्त सी०ए० घनराशि जमा किये जाने व 1.00 हे० एम०डी०एफ० पायी गयी भूमि के स्थान पर पृथक से 1.00 हे० क्षेत्र में वृक्षारोपण योजना तैयार कर उसकी भी अतिरिक्त घनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में सी०ए० की अतिरिक्त घनराशि जमा किये जाने हेतु डिमाण्ड नोट निम्नवत प्रेषित किया जा रहा है।

1. सी०ए० का क्षेत्रफल (हे०)	=	7.688
2. सी०ए० की प्रचलित दर के अनुसार प्राक्कलन की घनराशि	=	4196900.00
3. सी०ए० की पूर्व में जमा की जाने वाली घनराशि	=	1947616.00
4. सी०ए० की अधिरिक्त देय घनराशि	=	2249284.00
5. 1.00 हे० एम०डी०एफ० पाये गये क्षेत्र के स्थान पर अतिरिक्त 1.00 हे० क्षेत्र में वृक्षारोपण की घनराशि	=	869200.00
कुल जमा की जाने वाली घनराशि	=	3118484.00

कुल जमा की जाने वाली घनराशि (रूपये में) 31,18,484.00 (इक्कीस लाख अठारह हजार चार सौ चौरासी रूपये) मात्र की घनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है।

अतः उक्त घनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित घनराशि उच्च स्तर से सत्यापित होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों की संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार/कॉलमवार शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

पत्रांक 3819/12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

CS CamScanner

CS CamScanner

CS CamScanner

CS CamScanner

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/13914/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/13914/2015) Deghat to Lalnagari Motor Road	ROAD139142015944	6113914944	28 Dec 2017	CA: 3118484/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 0/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 3118484/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by :13 Jan 2026 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated :15 Jan 2026 On Transaction Date : 04 Feb 2026	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/171220251420515392_FPUKROAD139142015_User_Fund_Demanded_F3305.p Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD139142015944)
2	FP/UK/ROAD/35197/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/35197/2018) Ratkhal to Khalyun (Seema-Ristana) Motor Road	ROAD351972018936	6135197936	19 Jul 2019	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 1429054/-, Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 1429054/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 29 Mar 2025 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 11 Dec 2025 On Transaction Date : 28 Nov 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/240320251153330555_FPUKROAD351972018_User_Fund_Demanded_1645E.p Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD351972018936)
3	FP/UK/ROAD/33749/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/33749/2018) Shashikhal to Syahlain Motor Road.	ROAD337492018938	6133749938	03 Oct 2019	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 291451/-, NA: 0/- NA: 0/- NA: 0/- Total: 291451/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 28 Dec 2024 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated :18 Jan 2025 On Transaction Date : 18 Feb 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/191220241302519279_FPUKROAD337492018_User_Fund_Demanded_69397.p Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD337492018938)

**प्राक्कलन बावत् देघाट लालनगरी मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना।
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा**

स्थल का नाम— ओखलिया 2.5 हे० व झड़गांव 5.188हे०

क्षेत्रफल— 7.688 हे०

क्रम सं०	कार्य विवरण	सं०	ल०	चौ०	ऊ०	मात्रा	ईकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रथम वर्ष— अग्रिम मृदा कार्य								
1.1	साईड स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमाकेशन, के०एम०एल० फाईल तैयार करना, रुट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य)	1				7.688	प्रति हे०	1453.00	11170.66
1.2	क्षेत्र की सफाई	1				7.688	प्रति हे०	1259.00	9679.19
1.3	कुली वाल (100 घ०मी० प्रति हे० 193 स०मी० प्रति हे०) नोट— यह 67900 प्र०हे० घेरबाड़ व्यय तारबाड़ करने पर भी लागू होगा। (1x0.45x1.15) दर औसत (628+730)/2	1	1484	0.45	1.15	761.29	प्रति घ०मी०	679.00	516915.91
1.4	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	10148				10148	प्रति पौध	15.90	161353.20
1.5	गड्डा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	8457	0.3	0.3	0.45	8457	प्रति गड्डा	15.80	133620.60
1.6	भूमि संरक्षण कार्य								
1.6.1	1—कन्दूर फर्र 450 स०मी० (450x35=15750) (औसत साईज—3x0.30x0.30)	3460	3	0.3	0.3	3460.00	स०मी०	35.00	121100.00
1.6.2	2— चाल—खाल 2 सं० (2x6500=13000) (औसत साईज—4x2.5x1.00) कुल योग—28750	15	4	2.5	1	15.00	सं०	6500.00	97500.00
1.7	उक्त क्षेत्र में निरीक्षण बटिया निर्माण	1				7.688	प्रति हे०	1046.00	8041.65
	उप—योग							या	1059381.21
									1059400.00
1.8	वनीकरण क्षेत्र में अन्य वानस्पतिक भू० एवं जल संरक्षण विकास एवं अनुरक्षण कार्य — 2 प्रतिशत						प्रति हे०	-	21188.00
1.9	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण— 0.50 प्रतिशत						प्रति हे०	-	5297.00
1.1	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य — 0.50 प्रतिशत						प्रति हे०	-	5297.00
1.11	अन्य आकरिमक व्यय— 2 प्रतिशत						प्रति हे०	-	21188.00
	प्रथम वर्ष का योग							-	1112370.00
	या								1112300.00
2	द्वितीय वर्ष— वृक्षारोपण कार्य								
2.1	गड्डा मरान	8457				8457	प्रति गड्डा	2.48	20973.36
2.2	कन्दूर फर्रों में बीज बुआई	3460				3460	प्रति स०मी०	1.50	5190.00
2.3	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	10148				10148	प्रति पौध	2.70	27399.60
2.4	पौध डुलान (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित)1320 पौध								
2.4.1	वाहन द्वारा 50 किमी० दूरी से लोडिंग व अनलोडिंग सहित	10148				10148	प्रति पौध	12.17	123501.16
2.4.2	सिरबोझ डुलान 3 कि०मी०	10148				10148	प्रति पौध	8.16	82807.68
2.5	पौध रोपण	8457				8457	प्रति पौध	4.44	37549.08
2.6.1	निराई—गुड़ाई प्रथम बार	8457				8457	प्रति पौध	1.64	13869.48
2.6.2	निराई—गुड़ाई द्वितीय बार	8457				8457	प्रति पौध	1.64	13869.48
2.7	खाद/रसायन	8457				8457	प्रति पौध	0.45	3805.65
2.8	देख—रेख व रख—रखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 5 हे० पर) (12855 दर से 8 माह)/5 हे०=20568								
	5 हे० तक वृक्षारोपण —								
2.8.1	6 हे० से 10 हे० तक तक वृक्षारोपण —					7.688	प्रति हे०	20568.00	158126.78
	10 हे० से 20 हे० तक तक वृक्षारोपण —								
2.9	सुखा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना					7.688	प्रति हे०	318.00	2444.78
2.1	वृक्षारोपण अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगे पौधों में सिगलिंग—ट्रनिंग व थायलाबन्दी कार्य (100 प्रति हे०)					7.688	प्रति हे०	26.67	205.04

2.11	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत नालों में सैलिकस आदि प्रति है0 450 कटिंग का रोपण कार्य				7.688	प्रति है0	1.50	11.53
								489753.63
							या	489700.00
2.12	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 1 प्रतिशत					प्रति है0	-	4897.00
2.13	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत					प्रति है0	-	2448.5
2.14	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत					प्रति है0	-	9794
2.15	साईन बोर्ड लगाना (3X4फीट) कम्प्लीट कार्य					प्रति है0	L.S.	1000
	द्वितीय वर्ष का योग							507839.50
								507800.00
							या	
3	तृतीय वर्ष अनुस्क्षण (प्रथम वर्ष)							
3.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852							
	5 है0 तक वृक्षारोपण -							
	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -				7.688	प्रति है0	30852.00	237190.176
	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -							
3.2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व डुलान का व्यय विभागीय तथा रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर कार्य किया जायेगा				1691.000	प्रति पौध	38.93	65830.63
3.3	निराई-गुड़ाई मलिन्य व धावलाबन्दी प्रथम बार				8457	प्रति पौध	1.64	13869.48
3.4	निराई-गुड़ाई मलिन्य व धावलाबन्दी द्वितीय बार				8457	प्रति पौध	1.64	13869.48
3.5	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना				7.688	प्रति है0	318.00	2444.784
								333204.55
								333200.00
3.6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत					प्रति है0	-	3332.00
3.7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत					प्रति है0	-	1666.00
3.8	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत					प्रति है0	-	6664.00
	तृतीय वर्ष का योग							344862.00
								344800.00
							या	
4	चतुर्थ वर्ष-अनुस्क्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)							
4.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852							
	5 है0 तक वृक्षारोपण -							
	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -				7.688	प्रति है0	30852.00	237190.176
	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -							
4.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना				7.688	प्रति है0	318.00	2444.784
								239634.96
								239600.00
4.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत					प्रति है0	-	2396.00
4.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत					प्रति है0	-	1198.00
4.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत					प्रति है0	-	4792.00
	चतुर्थ वर्ष का योग							247986.00
								248000.00
							या	
5	पंचम वर्ष-अनुस्क्षण कार्य (तृतीय वर्ष)							
5.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852							
	5 है0 तक वृक्षारोपण -							
	8 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -				7.688	प्रति है0	30852.00	237190.176
	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -							

5.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना			7.688	प्रति है0	318.00	2444.784
	उप-योग						239634.96
					या		239600
5.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत				प्रति है0		2396.00
5.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				प्रति है0		1198.00
5.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत				प्रति है0		4792.00
	पंचम वर्ष का योग						247986
	या						248000.00
6	षष्ठम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)						
	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852						
6.1							
	5 है0 तक वृक्षारोपण -						
	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -			7.688	प्रति है0	30852.00	237190.176
	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -						
6.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना			7.688	प्रति है0	318.00	2444.784
	उप-योग						239634.96
					या		239600
6.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत				प्रति है0		2396.00
6.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				प्रति है0		1198.00
6.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत				प्रति है0		4792.00
	षष्ठम वर्ष का योग						247986
	या						248000.00
7	सप्तम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)						
	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852						
7.1							
	5 है0 तक वृक्षारोपण -						
	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -			7.688	प्रति है0	30852.00	237190.176
	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -						
7.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना			7.688	प्रति है0	318.00	2444.784
	उप-योग						239634.96
					या		239600
7.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत				प्रति है0		2396.00
7.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				प्रति है0		1198.00
7.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत				प्रति है0		4792.00
	सप्तम वर्ष का योग						247986
	या						248000.00
8	अष्टम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)						
	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852						
8.1							
	5 है0 तक वृक्षारोपण -						
	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण -			7.688	प्रति है0	30852.00	237190.176
	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण -						
8.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना			7.688	प्रति है0	318.00	2444.784
	उप-योग						239634.96
					या		239600
8.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत				प्रति है0		2396.00
8.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				प्रति है0		1198.00
8.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत				प्रति है0		4792.00
	अष्टम वर्ष का योग						247986
	या						248000.00

9	नवम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)							
	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है०=30852							
9.1								
	5 है० तक वृक्षारोपण -							
	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -		7.688	प्रति है०	30852.00		237190.176	
	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -							
9.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना		7.688	प्रति है०	318.00		2444.784	
	चप-योग						239634.96	
				या			239600	
9.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत			प्रति है०			2396.00	
9.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत			प्रति है०			1198.00	
9.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			प्रति है०			4792.00	
	नवम वर्ष का योग						247986	
							248000.00	
10	दशम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)							
	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है०=30852							
10.1								
	5 है० तक वृक्षारोपण -							
	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -		7.688	प्रति है०	30852.00		237190.176	
	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -							
10.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना		7.688	प्रति है०	318.00		2444.784	
	चप-योग						239634.96	
				या			239600	
10.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत			प्रति है०			2396.00	
10.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत			प्रति है०			1198.00	
10.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			प्रति है०			4792.00	
	दशम वर्ष का योग						247986	
							248000.00	
11	एकादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)							
	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है०=30852							
11.1								
	5 है० तक वृक्षारोपण -							
	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -		7.688	प्रति है०	30852.00		237190.176	
	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -							
11.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना		7.688	प्रति है०	318.00		2444.784	
	चप-योग						239634.96	
				या			239600	
11.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत			प्रति है०			2396.00	
11.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत			प्रति है०			1198.00	
11.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			प्रति है०			4792.00	
	एकादश वर्ष का योग						247986	
							248000.00	
12	द्वादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)							
	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है०=30852							
12.1								
	5 है० तक वृक्षारोपण -							
	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -		7.688	प्रति है०	30852.00		237190.176	
	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -							
12.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना		7.688	प्रति है०	318.00		2444.784	

**प्राक्कलन बावत् देघाट लालनगरी मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना।
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा**

स्थल का नाम- मोटर मार्ग के पास रिक्त पड़े स्थानों पर

क्षेत्रफल- 1.00 हे०

क्रम सं०	कार्य विवरण	सं०	ल०	घी०	ऊ०	मात्रा	ईकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रथम वर्ष- अग्रिम मृदा कार्य								
1.1	साईड स्पेसिफिक प्लान (सर्व डिमार्केशन, कं०एम०एल० फाईल तैयार करना, रुट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य)	1				1	प्रति हे०	1453.00	1453.00
1.2	क्षेत्र की सफाई	1				1	प्रति हे०	1259.00	1259.00
1.3	कुली बाल (100 घ०मी० प्रति हे० 183 स०मी० प्रति हे०) नोट- यह 67900 प्र०हे० घेरबाड़ व्यय तारबाड़ करने पर भी लागू होगा। (1x0.45x1.15) दर औसत (628+730)/2	1	193	0.45	1.15	100	प्रति घ०मी०	679.00	67900.00
1.4	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	1320				1320	प्रति पौध	15.90	20988.00
1.5	गड्डा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	1100	0.3	0.3	0.45	1100	प्रति गड्डा	15.80	17380.00
1.6	भूमि संरक्षण कार्य								
1.6.1	1-कन्दूर फरें 450 स०मी० (450x35=15750) (औसत साईज-3x0.30x0.30)	450	3	0.3	0.3	450.00	स०मी०	35.00	15750.00
1.6.2	2- चाल-खाल 2 सं० (2x6500=13000) (औसत साईज-4x2.5x1.00) कुल योग-28750	2	4	2.5	1	2.00	सं०	6500.00	13000.00
1.7	उक्त क्षेत्र में निरीक्षण बटिया निर्माण	1				1	प्रति हे०	1046.00	1046.00
	उप-योग								138776.00
								या	138800.00
1.8	वनीकरण क्षेत्र में अन्य वानस्पतिक भू० एवं जल संरक्षण विकास एवं अनुरक्षण कार्य - 2 प्रतिशत						प्रति हे०	-	2776.00
1.9	मूल्यांकन एवं अमिलेखीकरण- 0.50 प्रतिशत						प्रति हे०	-	694.00
1.1	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य - 0.50 प्रतिशत						प्रति हे०	-	694.00
1.11	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत						प्रति हे०	-	2776.00
	प्रथम वर्ष का योग								145740.00
	या								145700.00
2	द्वितीय वर्ष- वृक्षारोपण कार्य								
2.1	गड्डा मरान	1100				1100	प्रति गड्डा	2.48	2728.00
2.2	कन्दूर फरों में बीज बुआई	450				450	प्रति स०मी०	1.50	675.00
2.3	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध	1320				1320	प्रति पौध	2.70	3564.00
2.4	पौध डुलान (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 1320 पौध								
2.4.1	वाहन द्वारा 50 कि०मी० दूरी से लोडिंग व अनलोडिंग सहित	1320				1320	प्रति पौध	12.17	16064.40
2.4.2	सिरबोझ डुलान 3 कि०मी०	1320				1320	प्रति पौध	8.16	10771.20
2.5	पौध रोपण	1100				1100	प्रति पौध	4.44	4884.00
2.6.1	निराई-गुड़ाई प्रथम बार	1100				1100	प्रति पौध	1.64	1804.00
2.6.2	निराई-गुड़ाई द्वितीय बार	1100				1100	प्रति पौध	1.64	1804.00
2.7	खाद/रसायन	1100				1100	प्रति पौध	0.45	495.00
2.8	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 5 हे० पर) (12855 दर से 8 माह)/5 हे०=20568								
	5 हे० तक वृक्षारोपण -								
2.8.1	6 हे० से 10 हे० तक तक वृक्षारोपण -					1.000	प्रति हे०	20568.00	20568.00
	10 हे० से 20 हे० तक तक वृक्षारोपण -								
2.9	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना					1.000	प्रति हे०	318.00	318.00
2.1	वृक्षारोपण अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगे पौधों में सिगलिंग-ग्रूनिंग व थायलाबन्दी कार्य (100 प्रति हे०)					1.000	प्रति हे०	26.67	26.67

2.11	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत नालों में सैलिक्स आदि प्रति हे० 450 कटिंग का रोपण कार्य				1.000	प्रति हे०	1.50	1.50
	उप-योग							63703.77
							या	63700.00
2.12	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 1 प्रतिशत					प्रति हे०	-	637.00
2.13	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत					प्रति हे०	-	318.5
2.14	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत					प्रति हे०	-	1274
2.15	साईन बोर्ड लगाना (3X4फीट) कम्प्लीट कार्य					प्रति हे०	1.5	1000
	द्वितीय वर्ष का योग							66929.50
	या							66900.00
3	तृतीय वर्ष अनुरक्षण (प्रथम वर्ष)							
3.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 हे० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 हे०=30852							
	5 हे० तक वृक्षारोपण -							
	6 हे० से 10 हे० तक तक वृक्षारोपण -			1.000	प्रति हे०	30852.00		30852.00
	10 हे० से 20 हे० तक तक वृक्षारोपण -							
3.2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति (पौध की कीमत व डुलान का व्यय विभागीय तथा रोपण कार्य रोपण श्रमिक द्वारा किया जायेगा) वास्तविक क्षतिपूर्ति अनुसार मौके पर कार्य किया जायेगा			220.000	प्रति पौध	38.93		8564.6
3.3	निराई-गुड़ाई मल्लिंग व धावलाबन्दी प्रथम बार			1100	प्रति पौध	1.64		1804
3.4	निराई-गुड़ाई मल्लिंग व धावलाबन्दी द्वितीय बार			1100	प्रति पौध	1.64		1804
3.5	सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना			1	प्रति हे०	318.00		318
	उप-योग							43342.6
	या							43300.00
3.6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत					प्रति हे०	-	433.00
3.7	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत					प्रति हे०	-	216.50
3.8	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत					प्रति हे०	-	866.00
	तृतीय वर्ष का योग							44815.50
	या							44800.00
4	चतुर्थ वर्ष-अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)							
4.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 हे० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 हे०=30852							
	5 हे० तक वृक्षारोपण -							
	6 हे० से 10 हे० तक तक वृक्षारोपण -			1	प्रति हे०	30852.00		30852.00
	10 हे० से 20 हे० तक तक वृक्षारोपण -							
4.2	सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना			1	प्रति हे०	318.00		318.00
	उप-योग							31170.00
	या							31100.00
4.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत					प्रति हे०		311.00
4.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत					प्रति हे०		155.50
4.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत					प्रति हे०		622.00
	चतुर्थ वर्ष का योग							32188.50
	या							32200.00
5	पंचम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)							
5.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 हे० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 हे०=30852							
	5 हे० तक वृक्षारोपण -							
	6 हे० से 10 हे० तक तक वृक्षारोपण -			1	प्रति हे०	30852.00		30852.00
	10 हे० से 20 हे० तक तक वृक्षारोपण -							

5.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना		1	प्रति है०	318.00	318.00
	उप-योग					31170.00
						31100.00
5.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत			प्रति है०		311.00
5.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत			प्रति है०		155.50
5.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			प्रति है०		622.00
	पंचम वर्ष का योग					32188.50
	या					32200.00
6	षष्ठम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)					
6.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है०=30852					
	5 है० तक वृक्षारोपण -					
	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -	1	प्रति है०	30852.00	30852.00	
	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -					
6.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना		1	प्रति है०	318.00	318.00
	उप-योग					31170.00
						31100.00
6.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत			प्रति है०		311.00
6.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत			प्रति है०		155.50
6.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			प्रति है०		622.00
	षष्ठम वर्ष का योग					32188.50
						32200.00
7	सप्तम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)					
7.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है०=30852					
	5 है० तक वृक्षारोपण -					
	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -	1	प्रति है०	30852.00	30852.00	
	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -					
7.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना		1	प्रति है०	318.00	318.00
	उप-योग					31170.00
						31100.00
7.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत			प्रति है०		311.00
7.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत			प्रति है०		155.50
7.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			प्रति है०		622.00
	सप्तम वर्ष का योग					32188.50
						32200.00
8	अष्टम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)					
8.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है०=30852					
	5 है० तक वृक्षारोपण -					
	6 है० से 10 है० तक तक वृक्षारोपण -	1	प्रति है०	30852.00	30852.00	
	10 है० से 20 है० तक तक वृक्षारोपण -					
8.2	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना		1	प्रति है०	318.00	318.00
	उप-योग					31170.00
						31100.00
8.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत			प्रति है०		311.00
8.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत			प्रति है०		155.50
8.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			प्रति है०		622.00
	अष्टम वर्ष का योग					32188.50
						32200.00

9	नवम वर्ष-अनुक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)							
9.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852							
	5 है0 तक वृक्षारोपण --							
	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण --	1	प्रति है0	30852.00		30852.00		
	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण --							
9.2	सुस्था दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00		318.00		
	चप-योग						31170.00	
							31100.00	
9.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत				प्रति है0		311.00	
9.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				प्रति है0		155.50	
9.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत				प्रति है0		622.00	
	नवम वर्ष का योग						32188.50	
							32200.00	
10	दशम वर्ष-अनुक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)							
10.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852							
	5 है0 तक वृक्षारोपण --							
	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण --	1	प्रति है0	30852.00		30852.00		
	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण --							
10.2	सुस्था दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00		318.00		
	चप-योग						31170.00	
							31100.00	
10.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत				प्रति है0		311.00	
10.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				प्रति है0		155.50	
10.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत				प्रति है0		622.00	
	दशम वर्ष का योग						32188.50	
							32200.00	
11	एकादश वर्ष-अनुक्षण कार्य (नवम वर्ष)							
11.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852							
	5 है0 तक वृक्षारोपण --							
	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण --	1	प्रति है0	30852.00		30852.00		
	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण --							
11.2	सुस्था दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00		318.00		
	चप-योग						31170.00	
							31100.00	
11.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण-1 प्रतिशत				प्रति है0		311.00	
11.4	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत				प्रति है0		155.50	
11.5	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत				प्रति है0		622.00	
	एकादश वर्ष का योग						32188.50	
							32200.00	
12	द्वादश वर्ष-अनुक्षण कार्य (दशम वर्ष)							
12.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 5 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/5 है0=30852							
	5 है0 तक वृक्षारोपण --							
	6 है0 से 10 है0 तक तक वृक्षारोपण --	1	प्रति है0	30852.00		30852.00		
	10 है0 से 20 है0 तक तक वृक्षारोपण --							
12.2	सुस्था दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1	प्रति है0	318.00		318.00		

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फ़ैक्स: 05962.232162 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 6072 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 08-05 2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊं वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड स्याल्दे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.844 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/13914/2015)

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 5695/12-1(2) दिनांक 21.04.2025।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्त संख्या 3(ख) के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि के एवज में इस प्रभाग के जौरासी वन क्षेत्रान्तर्गत चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सिविल भूमि के आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने से सम्बन्धित अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर पूर्व में ही प्रेषित कर दिया गया था, जिसमें सी०ए० क्षेत्र सिविल झड़गांव व ओखलिया के स्थान पर केवल झड़गांव का ही विवरण अंकित किया गया था, जबकि प्रस्ताव के अनुसार जिलाधिकारी के संशोधित आदेश में दो स्थानों झड़गांव व ओखलिया की कुल 7.688 हे० भूमि सी०ए० हेतु हस्तांतरित की गयी थी।

अतः प्रकरण पर संशोधित अधिसूचना निम्न तालिकानुसार पुनः प्रेषित की जा रही है, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि ड्राफ्ट में वांछित संलग्नक पूर्व में ही प्रेषित कर दिये गये थे, जिनकी प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।

तालिका

क्र. सं.	जिला	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या (हे०)	कुल क्षेत्रफल(हे० में)	भूमि की कि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अल्मोड़ा	झड़गांव	कूपी	20	430(0.155), 431(0.456), 432(0.877), 2321(0.434), 2323(1.813), 2325(1.453).	5.188	उत्तराखण्ड सरकार व 9(3) इ०
2	अल्मोड़ा	ओखलिया	देवीखाल	9	365(2.500)	2.500	उत्तराखण्ड सरकार व 10(4)
योग						7.688	

उक्त भूमि को वन क्षेत्राधिकारी, जौरासी द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है(संलग्नक-2)।


अतः उक्त के क्रम में आपसे निवेदन है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 7.688 हे० सिविल भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927, यथासंशोधित (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाना है, जिस हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट (हिन्दी व अंग्रेजी) संलग्नक-03 व 04, शासनादेश हेतु इस आशय से प्रेषित कि आप स्वयं के स्तर से वन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन को अधिसूचना ड्राफ्ट प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

संलग्नक-1.अमलदरामद आदेश।

2. वन क्षेत्राधिकारी, द्वाराहाट रेंज द्वारा लिया गया कब्जा।
3. अधिसूचना का ड्राफ्ट।
4. खतौनी की प्रति।
5. चयनित क्षतिपूरक वनीकरण क्षेत्र का जियो रिफरेन्स मैप।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

पत्रांक 6072 / 12-1/12 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रस्ताव में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दु सं० 3 के क्रम में आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने सम्बन्धित की गयी कार्यवाही की सूचना सादर प्रेषित की जा रही है।



प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग-3

संख्या-
देहरादून:

दिनांक-

अधिसूचना

राज्यपाल भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग - हस्तांतरित 3.844 है० आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3) इ० की 5.188 है० (अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि) जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ सांरक्षित वन घोषित करते हैं-

तालिका

क्र० सं०	जिला	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (है० में)	भूमि की किर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अल्मोड़ा	झड़गांव	कूपी	20	430(0.155), 431(0.456), 432(0.877), 2321(0.434), 2323(1.813), 2325(1.453).	5.188	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9 इ०

(कहकंशा नसीम)
सचिव (प्रभारी)

संख्या:-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख वन संरक्षक (Hoff), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षण वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
9. उपजिलाधिकारी, कोश्या कुटौली।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रालय, रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब), भाग-4 में प्रकाशनार्थ।
11. एन० आई० सी० सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

(कहकंशा नसीम)
सचिव (प्रभारी)

उत्तराखण्ड शासन

वन अनुभाग-3

संख्या-

देहरादून:

दिनांक-

अधिसूचना

राज्यपाल भारतीय वन अधिनियम 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला अल्मोड़ा के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग " हस्तांतरित 3.844 है० आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वनीकरण हेतु जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-10(4) की 2.500 है० जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ सांरक्षित वन घोषित करते हैं-

तालिका

क्र० सं०	जिला	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (है० में)	भूमि की किस
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अल्मोड़ा	ओखलिया	देवीखाल	9	365(2.500)	2.500	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 10(4)

(कहकंशा नसीम)
सचिव (प्रभारी)

संख्या:-

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख वन संरक्षक (Hoff), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षण वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त कुमार्जे मण्डल, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. मुख्य वन संरक्षक कुमार्जे, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. वन संरक्षक उत्तरी कुमार्जे वृत्त, अल्मोड़ा।
7. जिलाधिकारी, नैनीताल।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
9. उपजिलाधिकारी, कोश्या कुटौली।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रालय, रूड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (ब), भाग-4 में प्रकाशनार्थ।
11. एन० आई० सी० सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

(कहकंशा नसीम)
सचिव (प्रभारी)

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification...../..... Dehradun, dated..... for general information

**Government of Uttarakhand
Forest Section-03**

File No.
Dehradun: Date

Notification

In Exercise of the powers conferred by sub section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 9(3)d – 5.188 Ha. land (for other agricultural use barren land) as Forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Almora to the Forest department for compensatory plantation against the 3.844 hectare reserve forest land transferred for the construction of Deghat Lalnagri Motor Road in Almora District, whose area and boundary details are given in the table below-

Table

S.n o.	District	Village	Patti	Khata no.	Khasra No.	Total Area Required (inHa.)	Category land
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Almora	Jhargaon	koopii	20	430(0.155), 431(0.456), 432(0.877), 2321(0.434), 2323(1.813), 2325(1.463).	5.188	Uttarakha Governm Categor 9(3)D

The area mentioned in table above is free from the claim of any concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

**(Kahsansa Naseem)
Secretary(incharge)**

Copy-Sent to the following for information and action.

1. Principal Cheif-Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand, Dehradun.
2. Pricipal Cheif Conservator of Forest Wilflife, Uttarakhand, Dehradun.
3. Additional Cheif Conservator of Forest, and Nodal Officer, Uttarakhand, Dehradun.
4. Commissioner, Kumaun Mandal, Uttarakhand, Nainital.
5. Cheif Conservator Of Forest, (Kumaun),Uttarakhand, Nainital.
6. Conservator Of Forest, North Kumaun Circle, Uttarakhand Almora.
7. District Magistrate, Nainital.
8. Division Forest officer, Almora Forest Division Almora.
9. Sub District Magistrate, Kosya Kutoli.
- 10 Director, Government Currency Roorkee to be published in the Legislative Council Section-(B) part-4 of the general Gazatte.
- 11 NIC, Secretriat Campus.
- 12 Guard File.

**(Kahsansa Naseem)
Secretary(incharge)**

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification...../..... Dehradun, dated..... for general information

**Government of Uttarakhand
Forest Section-03**

File No.
Dehradun: Date

Notification

In Exercise of the powers conferred by sub section (1) and (2) of section 29 of Indian Forest Act 1927, (Act-16 of 1927) for the purpose of Chapter-4 of the said Act, the Governor is pleased to declare the government owned category 10(4)- 2.5 Ha. as Forest land as well as protected forest, which was transferred by District Collector of Almora to the Forest department for compensatory plantation against the 3.844 hectare reserve forest land transferred for the construction of Deghat Lalnagri Motor Road in Almora District, whose area and boundary details are given in the table below-

Table

S.n o.	District	Village	Patti	Khata no.	Khasra No.	Total Area Required (inHa.)	Category land
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Almora	Okhliya	Devikhal	9	365(2.500)	2.500	Uttarakhand Governm Categor 10(4)

The area mentioned in table above is free from the claim of any concessions, to be transferred in the name of the Forest Department in the land records.

**(Kahsansa Naseem)
Secretary(incharge)**

Copy-Sent to the following for information and action.

1. Principal Chief-Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand, Dehradun.
2. Pricipal Chief Conservator of Forest Wilflife, Uttarakhand, Dehradun.
3. Additional Cheif Conservator of Forest, and Nodal Officer, Uttarakhand, Dehradun.
4. Commissioner, Kumaun Mandal, Uttarakhand, Nainital.
5. Cheif Conservator Of Forest, (Kumaun),Uttarakhand, Nainital.
6. Conservator Of Forest, North Kumaun Circle, Uttarakhand Almora.
7. District Magistrate, Nainital.
8. Division Forest officer, Almora Forest Division Almora.
9. Sub District Magistrate, Kosya Kutoli.
- 10 Director, Government Currency Roorkee to be published in the Legislative Council Section-(B) part-4 of the general Gazette.
- 11 NIC, Secretriati Campus.
- 12 Guard File.

**(Kahsansa Naseem)
Secretary(incharge)**

संशोधित आदेश

146

कार्यालय आदेश संख्या 4157/ग्यारह-05/2021-22, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 द्वारा जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड च्याल्दे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी तक प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 3.844 हे० वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु राजस्व ग्राम-झड़गांव, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कूपी तहसील-सल्ट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-20 की श्रेणी-9(3)इ "कृषि योग्य बंजर भूमि" (उत्तराखण्ड सरकार) के पैमाइशी खेत नम्बर-430 रकव 0.155 हे०, खेत नं०-431 रकवा 0.456 हे०, खेत नं०-432 रकवा 0.877 हे०, खेत नं०-2321 रकवा 0.434 हे० खेत नं०-2323 रकवा 1.813 हे०, खेत नं० 2325 मध्य रकवा 1.453 हे० कुल 5.188 हे० एवं खतौनी खाता संख्या-9 श्रेणी-10(4) के बंजर नाकाबिल आबाद (उत्तराखण्ड सरकार) के पैमाइशी खेत नं०- 365 मध्ये-2500 हे० इस प्रकार कुल- 7.688 हेक्टर सिविल भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में नामान्तरित किये जाने के स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रकरण में उप जिलाधिकारी, सल्ट खुमाड़ द्वारा पत्र संख्या 412/एस0टी0/2023-24, दिनांक 12 जून, 2024 एवं अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्र संख्या 332/19 सी0 दिनांक 10-06-2024 से अवगत कराया गया है कि देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु घयनित कुल सिविल भूमि 7.688 हे० के सापेक्ष 5.188 हे० भूमि ग्राम झड़गांव एवं में उपयुक्त पायी गयी है। शेष 2.500 हे० सिविल भूमि भूलवश ग्राम झड़गांव खाता संख्या 20 अंकित हो गया है, जिसे ग्राम ओखलिया खाता संख्या-9 के खेत नं०- 365 मध्ये-2500 हे० संशोधित किया जाना है।

अतः उप जिलाधिकारी, सल्ट खुमाड़ एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0), लो0नि0वि0, सल्ट (अल्मोड़ा) की आख्या के आधार पर इस कार्यालय द्वारा पारित आदेश संख्या 4157/ग्यारह-05/2021-22, दिनांक 05 अप्रैल, 2022 में प्रस्तावित खाता संख्या-9 श्रेणी-10 (4) के पैमाइशी खेत नं०-365 मध्ये-2500 के स्थान पर आंशिक संशोधित किया जाता है कि "ग्राम ओखलिया, राजस्व उप निरीक्षक देवीखाल, तहसील सल्ट खुमाड़ के खाता संख्या-9 श्रेणी-10(4) के पैमाइशी खेत नं०- 365 मध्ये-2500 हे० भूमि पढ़ा जाय।"

उक्त सम्बन्ध में कार्यालय आदेश दिनांक 05 अप्रैल, 2022 में उद्धिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

दिनांक 12/06/2024

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या-5590 /ग्यारह- 05/2021-22 दिनांक 13 जून, 2024

प्रतिलिपि: निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- 3- उप जिलाधिकारी, सल्ट खुमाड़, जनपद अल्मोड़ा।
- 4- तहसीलदार, सल्ट खुमाड़।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, (पी0एम0जी0एस0वाई0) लोक निर्माण विभाग, सल्ट।
- 6- वन क्षेत्राधिकारी, जौरासी वन क्षेत्र (अल्मोड़ा)।

13505
12-10
14-6-2024

(विनीत तोमर)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

कब्जा प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 13.650 किमी० में 3.844 है० प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु (कुल 7.688 है०) ग्राम ओखलिया में 2.500 है० एवं ग्राम झड़गाव में 5.188 है० सिविल भूमि चयनित की गई थी, उक्त भूमि वन विभाग के नाम अमलदरामद जिलाधिकारी अल्मोड़ा के संशोधित पत्र संख्या 5590/ग्यारह-05/21-22 दिनांक 13.06.2024 द्वारा कर दिया गया है। भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी०/यू०सी०पी०/०6/269/2015/एफ०सी०/1610 दिनांक 18.12.2017 एवं कार्यालय तहसीलदार, सल्ट (खुमाड़) के पत्र संख्या 299/वि०/एम०जे०/2024-25 दिनांक 21.03.2025 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि ओखलिया (2.50 है०) का दिनांक 25.03.2025 एवं सिविल भूमि झड़गाव (5.188 है०) का दिनांक 25.03.2025 का सीमांकन प्रस्तावक विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में पूर्ण कर लिया गया है।

अतः उक्त भूमि का कब्जा वन विभाग को दे दिया गया है।

Ravi
30

Singh
जनपद अल्मोड़ा
वन विभाग
अधीनस्थ अधिकारी

गु वन्य अन्तर्गत क्षेत्र
जनपद अल्मोड़ा
वन विभाग
(विनोद पवार)

25/03/25
जनपद अल्मोड़ा
वन विभाग
(अधीनस्थ अधिकारी)

25/03/25
जनपद अल्मोड़ा
वन विभाग
(अधीनस्थ अधिकारी)

25/03/25
जनपद अल्मोड़ा
वन विभाग
(अधीनस्थ अधिकारी)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
सल्ट (अल्मोड़ा)

25/03/25
जनपद अल्मोड़ा
वन विभाग
(अधीनस्थ अधिकारी)

प्रधानीय बनावकार
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

महल खलीनी (गै.प.वि.खलीनी)

राजस्व ग्राम-झांझा, सा.उ.वि.खेल-कुरी, तहसील-खल, जिला-जोधपुर
श्रेणी- 9 (3) इ (कृषि योग्य वन्य भूमि)


क्र.सं.	नाम कालवार/पिता का नाम	खेत सं.	रकबा हेक्टर में	अन्य विवरण
20	उल्लासराव सरकार (कृषि योग्य वन्य भूमि)	6	0.031	श्रीमान राजगोपाल/श्रीमान उ.क.राव सं- 4157/तह- 05/2001-22/वि.वि. इ.सं. 20-22 के अंतर्गत राजस्व झांझा, सा.उ.वि.खेल-कुरी, तहसील के गै.प.वि.खलीनी खाली सं- 20 श्रेणी 9(3) इ कृषि योग्य वन्य भूमि (खलपक) खल सं. 20/सं. 155 के अंतर्गत सं- 430 रकबा 0.155 हे. के अंतर्गत 431 रकबा 0.156 हे. के अंतर्गत 432 रकबा 0.877 हे. के अंतर्गत कुल 5.188 हे. लिस्ट कर के अंतर्गत कृषि योग्य वन्य भूमि का अंतर्गत इस प्रकार का विवरण है
		7	0.045	
		10	0.995	
		↑	↑	
		↓	↓	
		430	0.155	
		431	0.156	
		432	0.877	
		↑	↑	
		2321	0.434	
2322	1.313			
2323	1.180			
↓	↓			
4198	0.015			
4210	0.010			
कुल		240	391	

महोदय,
गै.प.वि.खलीनी, तहसील-खल, जिला-जोधपुर

20/05/23


Point No-3


जियो रेकरेन्स मैप-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से ताल नगरी मोटर मार्ग का क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल झरगाँव एवं ओखलिया।



ID	Longitude	Latitude
1	79° 6'40.47"	29°41'26.31"
2	79° 6'38.71"	29°41'28.31"
3	79° 6'38.29"	29°41'32.55"
4	79° 6'40.73"	29°41'36.47"
5	79° 6'43.01"	29°41'31.10"
6	79° 6'41.82"	29°41'26.44"
7	79° 6'21.35"	29°36'58.11"
8	79° 6'25.01"	29°37'2.20"
9	79° 6'29.58"	29°37'10.15"
10	79° 6'36.40"	29°37'9.66"
11	79° 6'39.58"	29°37'6.90"
12	79° 6'36.00"	29°37'4.79"
13	79° 6'31.48"	29°37'8.78"
14	79° 6'30.83"	29°37'3.27"
15	79° 6'23.87"	29°36'55.77"

Area=7.688


 अधिकारी, जिला निकास विभाग, अ.स. न.स.स. विभाग, देघाट (अ.स.स.)
 6/10/2024
 व.स.


 जिला निकास विभाग, अ.स. न.स.स. विभाग, देघाट (अ.स.स.)
 6/10/2024
 व.स.

Legend
 सूर्य सिंह मर्तोन्जिप
 एनएच उपनिवेश
 GPS_Points
 तहसील-सर्वे जिला-असम
 Proposed Plantation

ScaleBar
 0.0 0.3 0.6
 km